न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07/2016
प्रविष्टि दिनांक 02.03.2016

गंगाराम पुत्र शम्भू दर्जी निवासी कुरावदा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–जंसी पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कुरावदा तहसील निवाई जिला टोंक
2–भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये एसडीओ निवाई

.....अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री योगेश व्यास,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री शिवराज चांगल,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय **दिनांक 06.12.2017**

न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 14.11.2007 से प्रतिपक्षी संख्या 1 जंसी पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कुरावदा तहसील निवाई को दिनांक 26.06.1989 को ग्राम कुरावदा तहसील निवाई के आराजी खसरा नम्बर 295/3/1 मे रकबा 3 बीघा भूमि का भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवण्टन यथावत रखे जाने पर प्रार्थी ने व्यथित होकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहॉ अपील प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 01.02.2016 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2007 को अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि विवादित भूमि के संबंध मे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट की रोशनी मे पत्रावली का अवलोकन करे तथा यदि आवश्यक हो तो संबंधित तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी से विस्तृत मौका रिपोर्ट तलब कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर उपखण्ड अधिकारी निवाई से जांच रिपोर्ट मंगवाई गये तथा अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 295/3/1 मे आवंटन की दिनांक को कोई भूमि मौके पर आवंटन के लिए उपलब्ध नही थी,क्योकि यह भूमि दिनांक 29.11.1975 को आवेदक व अन्य व्यक्तियो को आवंटित कर मौके पर कब्जा दिया जा चुका था। जिसका बाद मे बटा नम्बर डालकर

जिला कलेक्टर
टोंक

295/3/1/4 दर्ज कर खातेदारी प्रदान कर दी गई थी। विपक्षी को केवल यह कागजी आवंटन हुआ है,उसका मौके पर कोई कब्जा नही है,किन्तु विपक्षी ने भू–सुधार वालो से साज करके आवेदक को दिये गये कब्जे के स्थान पर जिसका खसरा नम्बर 295/3/1/4 तत्समय भी दर्ज था पर पेनसील तरमीम आवेदक के कब्जे शुद्वा भूमि पर अंकित कराकर उसका नम्बर 295/1/3/6 अंकित कर विपक्षी के नाम तरमीम कर दी,जबकि आवेदक का उस स्थान पर सन् 1975 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपखण्ड अधिकारी निवाई के द्वारा दिनांक 18.03.2004 को जरिये वाद संख्या 453/93 डिक्री कर दिया तथा प्रार्थी के हक मे अपने कब्जे शुद्वा आवंटन शुद्वा भूमि खसरा नम्बर 295/3/1/4 की पूर्वत तरमीम करने का आदेश पारित किया गया है। उसके उपरान्त भी प्रतिपक्षी संख्या 1 प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी के अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी की भूमि से प्रतिपक्षी का कोई लेना देना नही है,उसको भूमि का आवंटन अवैधानिक रूप से किया गया है। आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नही की गई है एंव रिक्त भूमि की सूची नही बनाई गई है।अतः आवंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने दोराने बहस कथन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति ने अप्रार्थी संख्या 1 जंसी पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कुरावदा तहसील निवाई को आ0ख0नं0 295/3/1 मे रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम कुरावदा तहसील निवाई में दिनांक 26.06.1989 को आवंटन किया गया है तथा इस रकबे का नया नम्बर 295/3/1/6 डालकर तदानुसार तरमीम कर भूमि सुपुर्दगी मे दी गई है। आवंटन के बाद से ही जंसी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। लगभग 16 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है।आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन रूल्स के अनुसार ही उक्त भूमि को आवंटित किया गया है।अतः प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 जंसी पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कुरावदा तहसील निवाई द्वारा आवेदन पत्र भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर भू–आवंटन सलाहकार समिति ने दिनाक 26.06.1989 को खसरा नम्बर 295/3/1 मे रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम कुरावदा तहसील निवाई मे आवंटन किया गया है तथा आवंटित भूमि सुपुर्दगी मे दी गई है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 01.02.2016 की पालना मे उपखण्ड अधिकारी निवाई के पत्र कमांक 5598 दिनांक 04.09.2017 से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 295/8 रकबा 3 बीघा जंसी पुत्र गोपी गुर्जर व ख0नं0 295/6 रकबा 5 बीघा गंगालाल पुत्र शम्भू दर्जी मौके पर काबिज है। प्रतिपक्षी को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार मिल जाने के बाद भूमि का आवंटन उसी स्थिति मे निरस्त किया जा सकता है जब आवंटन फ्राड एंव मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर कराया जाना सिद्व हो। उक्त विवेचन से जाहिर है कि

जिला कलेक्टर
टोंक

पक्षकारान मे उक्त भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद है। ऐसी स्थिति मे प्रतिपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर जंसी पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कुरावदा तहसील निवाई को दिनांक 26.06.1989 को ग्राम कुरावदा तहसील निवाई की आराजी खसरा नम्बर 295/3/1 मे रकबा 3 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते